

प्रेस-विज्ञप्तिथाना बिलरियागंजहत्या की घटना में 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.05.2022 को समय रात्रि करीब 20.00 बजे ग्राम छिही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ से सूचना मिली की दो पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुँचे तो पीड़ित पक्ष के श्रीमती रीना पत्नी राजेन्द्र प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष, बालकिशुन पुत्र स्व0 सुमेर राम उम्र करीब 50 वर्ष, राधेश्याम पुत्र सुमेर राम उम्र करीब 36 वर्ष, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कुबेर राम उम्र करीब 40 वर्ष आदि को विपक्षियों द्वारा मारा पीटा गया था। पीड़ित पक्ष के उपरोक्त लोगो को सी0एच0सी0 बिलरियागंज में इलाज हेतु ले जाया गया जहाँ पर पीड़ित पक्ष की रीना पत्नी राजेन्द्र उपरोक्त की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण चिकित्सक द्वारा जिला चिकित्सालय आजमगढ़ रेफर किया गया था। रीना देवी को जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। आवेदक श्री रविन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 कुबेर राम निवासी ग्राम छिही थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 111/2022 धारा 147/148/149/323/307/302/504/506 भा0द0वि0 बनाम केदार पुत्र बुद्धू आदि 10 नफर पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 02.06.2022 को मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) केदार पुत्र बुद्धू (2) जैतिल उर्फ लाल बिहारी पुत्र केदार (3) निर्मल पुत्र खरपतू (4) झीनक उर्फ श्रवण पुत्र खरपतू निवासी गण ग्राम छिही थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ उपरोक्त को समय करीब 06.40 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 अदद आलाकत्ल लाठी अलग-अलग स्थानों से बरामद किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- (1) केदार पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम छिही थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (2) जैतिल उर्फ लाल बिहारी पुत्र केदार निवासी ग्रामी छिही थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (3) निर्मल पुत्र खरपतू निवासी ग्राम छिही थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (4) झीनक उर्फ श्रवण पुत्र खरपतू निवासी ग्राम छिही थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी स्थान

- अण्डाखोर तिराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. SO विजय प्रकाश मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 आशीष पटेल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. का0 अमन सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 ललिता सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- फूलपुर
गैगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

मु0अ0सं0 189/2022 धारा (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ दिनांक 01.06.2022 बनाम 1. रामप्रीत पुत्र रामकिशोर साकिन टिकरिया जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 2. साबिर पुत्र अबुल हसन सा0 नेवादा थाना फूलपुर पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अशोक कुमार मौर्य द्वारा प्रारम्भिक विवेचना सम्पादित की जा रही है।

दिनांक 02.06.2022 को प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा गैगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त 1. रामप्रीत पुत्र रामकिशोर साकिन टिकरिया जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ 2. साबिर पुत्र अबुल हसन सा0 नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को फूलपुर बस अड्डे से समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

सम्बन्धित मुकदमा -

मु0अ0सं0 189/2022 धारा धारा (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1. रामप्रीत पुत्र रामकिशोर साकिन टिकरिया जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष

| क्र0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---------|----------|---|--------|--------|
| 1 | 48/2021 | 1.मुअ0सं0 48/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 फूलपुर | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 2 | 189/2022 | धारा (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ | फूलपुर | आजमगढ़ |

2. साबिर पुत्र अबुल हसन सा0 नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष

| क्र0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---------|----------|---|--------|--------|
| 1 | 48/2021 | 48/2021धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 फूलपुर | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 2 | 83/19 | 60 आबकारी अधि0 फूलपुर आजमगढ़ | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 3 | 84/19 | 4/25 आर्म्स एक्ट फूलपुर आजमगढ़ | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 4 | 182/18 | 147/148/149/34/307/419/420/468 भादवि फूलपुर | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 5 | 185/18 | 3/25 आर्म्स एक्ट फूलपुर | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 6 | 189/2022 | धारा (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ | फूलपुर | आजमगढ़ |

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामप्रीत पुत्र रामकिशोर साकिन टिकरिया जगदीशपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 39 वर्ष
2. साबिर पुत्र अबुल हसन सा0 नेवादा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह हे0का0 कमलेश मिश्रा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 जितेन्द्र यादव व का0 शिवम कुमार पाल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

थाना कन्धरापुर
किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

दि० 02.06.2022 को थानाध्यक्ष ज्ञानचन्द्र शुक्ला मय हमराह द्वारा मु०अ०सं० 134/2022 धारा 452/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभि० डब्लू पुत्र बिसुन सा० बर्जी थाना कन्धरापुर आजमगढ़ अनवरगंज बाजार से समय करीब 02.15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. डब्लू पुत्र बिसुन सा० बर्जी थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 134/2022 धारा 452/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SO श्री ज्ञानचन्द्र शुक्ला थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
2. का० विकास उमाशंकर कन्नौजिया थाना कन्धरापुर आजमगढ़
3. का० आकाश गोड़ थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
4. का० अखिलेश कुमार थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
4. म०का० अंशिका सिंह थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने की घटना में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 20.3.2022 को वादी छविलाल यादव पुत्र स्व० बलिराम यादव सा० दुल्लहपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि मेरा नाती विशाल के पैतृक घर सा० बेरमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पर ब्रह्मभोज का आयोजन था जिसमे मेरा नाती विशाल यादव गया था। समय लगभग 8 बजे रात में अमन पुत्र अज्ञात निवासी हरखूपुर थाना कन्धरापुर जिसके घर विशाल का बराबर आना जाना उठना बैठना था। विशाल को अपने साथ बुलाकर अपने घर लेकर चला आया । दिनांक 20.3.2022 को समय लगभग 5 बजे सुबह वादी के गांव दुल्लहपार के बगल में विशाल की लाश मिलने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 72/22 धारा 302/201 भादवि बनाम अमन पुत्र अज्ञात व कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

विवेचना के क्रम में दि० 02.06.2022 को थानाध्यक्ष ज्ञानचन्द्र शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता संजना भारती पुत्री पेशकार भारती निवासिनी ग्राम कन्हौली थाना केराकत जनपद जौनपुर को समय करीब 05.15 बजे सुबह करतालपुर तिराहे से म०आरक्षी की मदद से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बयान अभियुक्ता: संजना भारती पुत्री पेशकार भारती निवासिनी ग्राम कन्हौली थाना केराकर जनपद जौनपुर उम्र 20 वर्ष बदरियाफ्त जुर्म स्वीकार करते हुये बता रही है कि मै और मृतक विशाल दोनो अच्छे दोस्त थे एक साथ पूर्वान्वल यूनिवर्सिटी मे पढ़ते थे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते व पहचानते थे दो चार बार हम लोग मिले भी थे हम दोनो एक दूसरे को बहुत चाहते थे , जिस दिन घटना हुई उस दिन भी बात हुयी थी वह मुझसे मिलने व बात करने के लिये जिद कर रहा था ।

मृतक- विशाल पुत्र जवाहिर ग्राम बेरमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ हाल पता ग्राम दुल्लहपार थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र लगभग 19 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्ता

अभियुक्ता- 1. संजना भारती उम्र 20 वर्ष पुत्री पेशकार भारती निवासिनी ग्राम कन्हौली थाना केराकर जनपद जौनपुर ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 72/2022 धारा 302/201 भादवि में धारा 302 का लोप व धारा 306/202/203 भादवि की बढ़ोत्तरी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ । अभियोग धारा 306/201/202/203 भादवि में प्रचलित है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. SO श्री ज्ञानचन्द्र शुक्ला थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
2. का0 विकास उमाशंकर कन्नौजिया थाना कन्धरापुर आजमगढ़
3. का0 आकाश गोड़ थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
4. का0 अखिलेश कुमार थाना कन्धरापुर, आजमगढ़
4. म0का0 अंशिका सिंह थाना कन्धरापुर, आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना रौनापार

मारपीट की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी श्री चन्द्रकेश S/O सतिराम निवासी तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित दिया कि विपक्षी द्वारा वादी को गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व बचाने आये परिवारजनो को भी गाली गुप्ता देते हुए घर मे घुसकर मारना पीटना जिससे ज्ञानमति D/Oपतिराम का बेहोश हो जाना तथा शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे स्थानीय पर मु185 0सं0अ0/308 धारा 22/323/452/504/1 भादवि बनाम506.श्रीराम S/O हरदेव 2.रामधारी S/O हरदेव 3.दुरभान S/O स्व4 सहदेव 0.किरन देवी W/Oनगीना समस्त निवासीगण तुरकौली थाना रौनापार आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी ।

आज दिनांक 02.06.2022 को उ0नि0 भगवान यादव मय हमराह द्वारा ल मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त श्रीराम पुत्र हरदेव निवासी तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को समय 08.35 बजे खरैलिया ढाला से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 185/22 धारा 308/323/452/504/506भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 185/22 धारा 308/323/452/504/506भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

श्रीराम पुत्र हरदेव निवासी तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. उश्री भगवान यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 0नि0
3. हेदीपक कुमार थाना 0का0 रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

थाना पवई

छेड़खानी की घटना का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.5.2022 को प्रहलाद पुत्र रामजस निवासी थाना क्षेत्र पवई जनपद आजमगढ़ के थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 29.5.22 को प्रतिवादी सोनू द्वारा वादी की बहन को जमीन पर पटक देना व अश्लील हरकत करना , जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 145/2022 धारा 354,506 भादवि बनाम सोनू पुत्र अज्ञात साकिन खेमीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया तथा दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 354 ख भादवि बढ़ोत्तरी की गयी ।

उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय मय हमराह मुकेश कुमार सिंह के मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र रामसनेही बिन्द निवासी खेमीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को खेमीपुर तिराहे पर करीब 07.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 145/2022 धारा 354, 354 ख, 506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:—

सोनू पुत्र रामसनेही ग्राम खेमीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय
- 2.का0 मुकेश सिंह